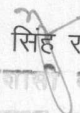


- (5) प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और / या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (बचनबद्धता संलग्न की जाये) :- संलग्न हैं।
- (6) निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा - संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान.....भवाली.....।


सहायक अधिवक्ता
अस्थाई सण्ड, लो० नि० वि०
भवाली (नैनीताल)

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर
नाम (हिम्मत सिंह रावत)
मोहर 
अस्थाई सण्ड, लो० नि० वि०
भवाली (नैनीताल)

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा।

फैक्ट सीट

परियोजना का नाम :- जिला नैनीताल में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत नदगलगौव को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग निर्माण।

1. प्रभावित भूमि का बैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे० में) -

आरक्षित वन भूमि	- 1.33 हे०
सिविल एवं सोयम वन भूमि	- शून्य
वन पंचायत भूमि	- शून्य
निजी भूमि	- 0.42 हे०
योग	- 0.07 हे०
2. प्रस्तावक विभाग का नाम - अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०, भवाली
3. वन प्रभाग का नाम - नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल
4. प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है - हाँ / नहीं
5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है - हाँ / नहीं
6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1, 2 व 3 के सभी.

बिन्दुओं की सूचना भरी गई है -	हाँ / नहीं
-------------------------------	------------
7. क्या प्रारूप में वॉछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है - हाँ / नहीं
8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का धनत्व दर्शाया गया है - हाँ / नहीं
9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं
10. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबंधित वन संरक्षक का स्थानीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है -किसी प्रकार के वृक्षों का पातन निहित नहीं है। हाँ / नहीं
11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है - मार्ग की चौड़ाई सिमित कर वास्तविक
12. समरेखन में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्ष की सूची संलग्न है - हाँ / नहीं
कॉलम 11 के अनुसार
13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का धनत्व सही है - हाँ / नहीं
14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ / नहीं
लागू नहीं है।
15. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है - हाँ / नहीं
16. प्रस्तावित मार्ग दोनों ओर /परियोजना के आसपास

रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है -	हाँ / नहीं
--	------------
17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है - हाँ / नहीं

18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीछोर का हिस्सा है - हाँ / नहीं
यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है हाँ / नहीं
19. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है हाँ / नहीं
20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है -
(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) - लागू नहीं है।
21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है - हाँ / नहीं
22. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हाँ / नहीं
23. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है- हाँ / नहीं
24. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। लागू नहीं।
25. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें / वैकल्पिक समरेखन मानचित्र पर दर्शाये गये हैं - हाँ / नहीं
26. वैकल्पिक समरेखनों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)
27. लागत लाभ विप्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है
(5 हे० से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) लागू नहीं है। हाँ / नहीं
28. मानचित्र व वार चार्ट में एकरूपता है हाँ / नहीं
29. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है- हाँ / नहीं
अथवा
मलवे के निस्तारण के संबंध में प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं
30. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ / नहीं
31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है
यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं - हाँ / नहीं
32. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है- लागू नहीं है।
हाँ / नहीं
33. वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हाँ / नहीं
34. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हाँ / नहीं
35. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं।

अधिरात्री अभियन्ता
प्रस्थाई खण्ड, २००० वि०

आ प्रभागीय वनाधिकारी (मु०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

हस्ताक्षर

प्रस्तावक विभाग / प्रभागीय वनाधिकारी

परिशिष्ट

(देखिए नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा -2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग -1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

(1) परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वनभूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण :- जिला नैनीताल में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत नदगलगॉव को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग निर्माण। किमी 0 1 से 2.500 तक

ख) 1,50,000 स्कूल मैप पर वनभूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप :- संलग्न हैं।

ग) परियोजना की लागत :- 63.06 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य :- मोटर मार्ग निर्माण हेतु

ड) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये) :- लागू नहीं हैं।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है :- प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम नदगल मुख्य मार्ग से जुड़ जायेगा, तथा स्थानीय जनता को कृषि करोबार, यातायात, चिकित्सा, स्वास्थ्य में विशेष सुविधा प्राप्त होगी।

(2)- कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :- आरक्षित वन भूमि 1.33 है०

(3)- परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हो :- लागू नहीं है।

क) परिवारों की संख्या:- लागू नहीं है।

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या :- लागू नहीं है।

ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये) :- लागू नहीं है।

(4)- क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक (है / नहीं) :- नहीं